**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 3097

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां**

**3097. प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडाः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 2016-18 और 2017-19 के बैच के लिए वापस ले ली गई दसवीं पश्चात की छात्रवृत्तियों के फीस माफी हेतु निधि प्रदान करने के प्रयोजन से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 2014 से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए दसवीं पश्चात छात्रवृत्ति के तहत वर्ष-वार कितने छात्रों को सम्मिलित किया गया है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (ग) : जी, नहीं। सरकार टीआईएसएस को कोई अतिरिक्‍त निधि प्रदान नहीं कर रही है। तथापि, पात्र अ.जा./अ.ज.जा. भारत सरकार स्‍नातकोत्‍तर छात्रवृत्ति छात्रों को पाठ्यक्रम फीस, डाइनिंग हॉल और हॉस्‍टल प्रभार हेतु वर्तमान छूट जारी रहेगी।

 इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने संस्‍थान की वित्‍तीय स्थिति की जांच करने और मामलों की जांच करने के लिए जैसे आंतरिक राजस्‍व सुधार, वर्तमान में छात्रों को दी जाने वाली छूट के लिए विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रतिनिधि, कार्यकारी निदेशक टीआईएसएस, शिक्षण समुदाय के प्रतिनिधि और छात्रों के प्रतिनिधि सहित एक समिति का गठन किया है।

(घ) : वर्ष 2014 से टीआईएसएस के विभिन्‍न कैम्‍पसों में अ.जा. और अ.ज.जा. हेतु स्‍नातकोत्‍तर छात्रवृत्ति के तहत कुल 1213 छात्र कवर किये गए थे। इन छात्रों का बैच-वार ब्यौरा 2014-16 में 323 छात्र, 2015-17 में 288 छात्र, 2016-18 में 311 छात्र और 2017-19 में 291 छात्र है।

**\*\*\*\*\***